


## केवल सामान्य (Gen.) वर्ग के छात्रवृत्ति से संबंधित सूचना

केवल सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिन छात्र-छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति फॉर्म महाविद्यालय में जमा कर दिया गया है, ऐसे छात्र अपनी बायोमैट्रिक अनुशासन विभाग में जाकर करायें। महाविद्यालय में छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करने के पश्चात् जो प्राप्ति रसीद (Receiving) दी गई थी उसे अनिवार्य रूप से साथ लेकर आयें, अन्यथा बायोमैट्रिक नहीं की जायेगी। ऐसे छात्र जिनके द्वारा बायोमैट्रिक नहीं कराई जाती है, तो छात्र अपनी छात्रवृत्ति न आने की दशा में स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों की बायोमैट्रिक माह जनवरी से प्रारंभ की जायेगी।

यह नियम पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति (ST), अल्पसंख्यक वर्ग (Min.) के छात्रों के लिए लागू नहीं है।

  
(प्रो० मुकेश कुमार भारद्वाज)  
प्राचार्य

नोट:- बायोमैट्रिक कराने का समय सुबह 10:30 से दोपहर 3:00 बजे तक।